अति–आवश्यक

उत्तर प्रदेश पी0ए0सी0 मुख्यालय, लखनऊ।

महानगर, लखनऊ–226006

पत्र संख्या पीएसी–तीन–निर्देश–21/2013/2654 दिनांक सितम्बर 24 ,2013

स्थायी आदेश संख्या– (06)

विषय– अनुरक्षण (विशेष मरम्मत) एवं लघु निर्माण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मार्ग–दर्शन।

(1) सेनानायक स्वंय मौके पर निरीक्षण करके सुनिश्चित करेंगें कि, लघु निर्माण कार्य से सम्बन्धित आगणनों के साथ मानचित्र एवं ड्राइंग अवश्य प्रेषित की जाये तथा विशेष मरम्मत में कार्य का फोटो भेजा जाये।

(2) जब भी कोई निर्माण एवं विशेष मरम्मत का कार्य सौंपा जाय, वांछित कार्यो की गणना स्पष्ट तौर पर 1, 2, 3,.....क्रमागत कर अंकित की जाय और उस पर जे0ई0 द्वारा आगणन मांगा जाय। कार्य के आगणन स्पष्ट बनवाये जायें जिससे बाद में कार्य का सत्यापन ढंग से हो जाय।

(3) बैरकों, शौचालयों आदि का दरवाजा पूरब/पश्चिम दिशा में यथासम्भव रखा जाय।

(4) प्रायः शौचालय में रोशनदान के रूप में एक या दो फुट की जाली लगा दी जाती है, जिससे शौचालय के अन्दर वायु संचार सुचारू रूप से नही होता है। अधिकाधिक शौचालय वायु संचार हेतु छत से लगभग एक फिट नीचे तकसभी दिशाओं में यथा–सम्भव इतनी जगह खुली रखी जाये जिससे हवा एवं रोशनी समुचित ढंग से आ जा सके।

(5) लैट्रिन सीट के पावदान का ढाल पीछे की ओर होने पर पीठ पर अधिक मोड़ पड़ता है एवं बैठने में दिक्कत होती है। सीट के पावदान का ढाल आगे की तरफ रखा जाये। कमोड इस तरह के लगाये जायें कि जिसमें पावदान का ढाल (आगे की तरफ) कमोड के (पीछे की तरफ) ढाल से अलग हो सके।

(6) बृहद निर्माण कार्य में सेनानायक तथा अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करके ही निर्माण इकाई के प्लान, मानचित्र, ले आउट एवं डिजायन आदि को अनुमोदित किया जाये।

(7) सेनानायक वाहिनी के एक मंजिला भवनों का निरीक्षण करके दो मंजिल अतिरिक्त भवन के निर्माण की सम्भावनाओं पर स्ट्रक्चर की मजबूती देखते हुये विचार कर लें। भविष्य में नये आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में यथा–सम्भव तीन मंजिल आवासों के ही प्रस्ताव भेजे जायें।

(8) वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत बनने वाले भवनों में शासन की नीतियों के अनुसार भूगर्भ जल संचयन का प्राविधान अवश्य रखा जाय।

(9) भवनों में विद्युत तारों के साथ–साथ, इनवर्टर वायरिंग की व्यवस्था भी रखी जाय।

(10) वाहिनी का मास्टर प्लान अवश्य बनवा लिया जाय। वृहद निर्माण कार्यो हेतु स्थल का चयन, दीर्घकालीन योजना के तहत किया जाय। मास्टर प्लान में पूर्व में बने भवनों को दर्शाते हुये भविष्य में निर्मित होने वाले भवनों हेतु स्थल को प्रदर्शित किया जाय।

(11) निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य में प्रयुक्त होने वाली सीमेन्ट ठेकेदारों द्वारा सही मात्रा में लगाना सुनिश्चित करने के लिये सेनानायक आगणन/इस्टीमेट के अनुसार सीमेन्ट एवं लोहे की स्टाक इन्ट्री तथा इशू करने की व्यवस्था रखें।

(12) निर्माण कार्यो की समुचित निगरानी हेतु एक मुख्य आरक्षी व आरक्षी की टीम बना लें। निर्माण कार्य की पूर्णता पर समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय कि निर्माण कार्यो में मानकों के अनुरूप निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात ही भुगतान आदि की कार्यवाही की जाय।

——2

(13) सीमेन्ट सम्बन्धी कार्यो की तराई निरन्तर सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु यदि टुल्लू पम्प की आवश्यकता हो तो क्रय करने पर विचार कर लें।

(14) छतों/छज्जों इत्यादि पर मिटटी/कूड़ा न जमा होने दिया जाय। इसे हमेशा साफ रखा जाय, विशेषरूप से वर्षा से पूर्व एवं बाद में अवश्य साफ कर दिया जाय, जिससे छत पर पानी एकत्र न हो।

(15) आवासीय/अनावासीय भवनों की छतों, छज्जों, स्नानागार/शौचालयों की खिड़कियां इत्यादि जगहों पर घास–फूस एवं पेड़ पौधे प्रायः उग आते है, इन्हें तुरन्त निकलवाकर उसमें तेजाब आदि डालकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जड़ें नष्ट हो गयी है। पुराने पेड़ों को काटकर इनकी जड़ों को ठीक से भवन से निकालकर सीमेन्ट कर दिया जाये। किसी भी सूरत में यदि इस सम्बन्ध में त्रुटि पाई गई तो सीधे क्वार्टर मास्टर (शिविरपाल) उत्तरदायी होगें।

(16) नालियों का निर्माण प्राकृतिक स्लोप को ध्यान में रखकर समुचित स्लोप देते हुये इस प्रकार कराया जाना चाहिये कि परिसर में जल भराव की स्थिति न हो तथा भवनों के बाहरी क्षेत्र एवं लान में प्रत्येक स्थल पर जल–जमाव को समाप्त कराया जाय।

(17) वाहिनी के अन्दर निर्मित सड़कों/खण्डजों का निरीक्षण सेनानायक द्वारा अवश्य कर लिया जाये। जहां उचित हो इन्टरलाकिंग टाइल का प्रयोग किया जाये, जिससे रख–रखाव आसान व सस्ता हो।

(18) पीएसी/पुलिस मुख्यालय से लघु निर्माण एवं विशेष मरम्मत के अन्तर्गत जिन कार्यो हेतु वाहिनियों को अनुदान उपलब्ध कराया जाये, उन कार्यो को गुणवत्ता एवं नियमों के अनुसार दो से तीन माह की अवधि के अन्दर अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।

(19) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा विभागीय प्रयोग हेतु जारी भवन हस्त पुस्तिका, 2012 उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसका सभी पीएसी वाहिनियां अमल एवं सदुपयोग करें। (वेब साइट का पता **http://uppolice.up.nic.in/PHQ%20Booklet/bhawan%20handbook2012.pdf** है)

(20) कृपया सुनिश्चित करें कि सभी कार्यों के ठेके 30 नवम्बर तक अवश्य प्रदान कर दिये जाय, जिससे उनको गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिये पर्याप्त समय हो। कार्य का समय से सत्यापन करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाय।

(21) फर्म/ठेकेदार से ई0एम0डी0 क्रास चेक के रूप में लिया जाय, जिससे जो असफल होते है, उनका चेक सहजता से वापस किया जा सके। इस प्रक्रिया से प्रशासनिक समय की बचत होगी।

(रंजन द्विवेदी)
पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि– पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर पुलिस महानिदेशक/(2) समस्त पुलिस महानिरीक्षक/(3) पुलिस उपमहानिरीक्षक/(4) समस्त सेनानायक/(5) अपर पुलिस अधीक्षक (पी/ई)/(6) स्टाफ आफीसर/(7) अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–एक, दो, तीन।

प्रतिलिपि– प्रभारी पुस्तकालय, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ को एक प्रति गार्ड पत्रावली पर रखने हेतु।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अवलोकन हेतु प्रेषित।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।